

फ़ा. संख्या सीबीआईसी-20001/6/2024 जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली तारीख : 15 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/ आयुक्त (केन्द्रीय कर)
सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 128क से संबंधित विभिन्न शंकाओं के स्पष्टीकरण- के संदर्भ में।

जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'सीजीएसटी अधिनियम' कहा जाएगा) में दिनांकित 01.11.2024 से धारा 128क डाली गई है, ताकि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट, कुछ शर्तों के अधीन, प्रदान की जा सके।

1.2 तत्पश्चात, जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर, नियम 164 को केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे आगे 'सीजीएसटी नियम' कहा जाएगा) में 01.11. 2024 से अधिसूचना संख्या 20/2024-केंद्रीय कर दिनांकित 8 अक्टूबर 2024 के माध्यम से सम्मिलित किया गया है, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128क के अंतर्गत कार्यवाही बंद करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें प्रदान की गई हैं।

1.3 इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 21/2024-केन्द्रीय कर दिनांकित 8 अक्टूबर 2024, 31.03.2025 को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) के तहत वह तारीख अधिसूचित की गई है, जिस दिन या उससे पहले नोटिस /विवरण/आदेश में मांगे गए कर का पूरा भुगतान करदाता द्वारा उक्त धारा के तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की माफी का लाभ उठाने के लिए किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां आवेदन सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक (proviso) के अनुसार किया जाता है, वह तारीख जिस पर या उससे पूर्व सीएसजीटी अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत कर का पुनर्निर्धारण करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश में मांगे गए कर का पूर्ण भुगतान करदाता द्वारा किया जाना आवश्यक है, उसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत कर का पुनर्निर्धारण करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश जारी करने की तारीख से छह माह में अधिसूचित किया गया है।

2.1 वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत मांगों के संबंध में ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट से संबंधित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128 क के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापार और क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा विभिन्न शंकाएं उठाई गई हैं।

2.2 मुद्दे को स्पष्ट करने और क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168(1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश जारी करता है।

2.3 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, इस परिपत्र में उल्लिखित सभी धाराएं सीजीएसटी अधिनियम की धाराओं को संदर्भित करती हैं और इसमें उल्लिखित सभी नियम सीजीएसटी नियमों के नियम को संदर्भित करते हैं।

3. धारा 128क के तहत प्रदान किए गए लाभ को प्राप्त करने और उसे लागू करने के लिए करदाताओं और कर अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है:

3.1 आवेदन दाखिल करना:

3.1.1 धारा 128क में "कुछ कर अवधि के लिए धारा 73 के तहत उठाई गई मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट" का प्रावधान है। इसलिए, धारा 128क के प्रावधान उन मामलों में लागू होते हैं जहां वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत नोटिस /विवरण जारी किए गए हैं, निम्नलिखित स्थितियों में:

(क) जहां धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया नोटिस या धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया विवरण, किन्तु जहां धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है;

(ख) जहां धारा 73 के अधीन जारी किए गए नोटिस /विवरण के संबंध में धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी किया गया है, किन्तु जहां अपील प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है;

(ग) जहां धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है, उन मामलों में जहां धारा 73 के अधीन नोटिस /विवरण जारी किया गया था और जहां अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है;

3.1.2 इसके अतिरिक्त, धारा 128क की उपधारा (1) के पहले प्रावधान के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 74 के तहत शुरू में नोटिस जारी किया गया था, और धारा 73 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है या पारित किया जाना आवश्यक है (धारा 75 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालत के निर्देश के अनुसरण में), वे मामले भी ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट के उद्देश्य से धारा 128क के तहत आते हैं।

3.1.3 धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में संदर्भित मामलों में जहां जुलाई 2017 से मार्च 2020 तक की अवधि से संबंधित कर की मांग करते हुए धारा 73 के तहत नोटिस /विवरण जारी किया गया है, जिसके लिए धारा 73 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, करदाता द्वारा फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 में एक आवेदन कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जा सकता है।

3.1.4 धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित मामलों में, जहां जुलाई 2017 से मार्च 2020 तक की अवधि से संबंधित कर की मांग करते हुए धारा 73 के तहत आदेश जारी किया गया है, जिसके लिए धारा 107 या धारा 108 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, करदाता द्वारा फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में एक आवेदन कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जा सकता है। इसी प्रकार, धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट मामलों में, जहां धारा 107 या धारा 108 के तहत आदेश जारी किया गया है, लेकिन धारा 113 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, करदाता द्वारा फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किया जा सकता है।

3.1.5 फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन, जैसा भी मामला हो, धारा 128क (1) के तहत अधिसूचित तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, यानी 31.03.2025 से तीन महीने के भीतर दायर किया जाएगा। हालांकि, धारा 128क की उपधारा (1) के पहले प्रावधान के अनुसार, जहां धारा 74 के तहत नोटिस जारी किया गया है, और अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालत सक्षम अधिकारी को कर को पुनः निर्धारित करने का निर्देश देती है जैसे कि मांग की नोटिस धारा 75(2) के प्रावधानों के अनुसार धारा 73 के तहत जारी किया गया है, तो इसे उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत शामिल किया जाता है। इसलिए, जैसा कि नियम 164 के उप-नियम (6) के प्रावधान में उल्लेख किया गया है, ऐसे मामलों में, धारा 73 के तहत भुगतान किए जाने वाले कर की राशि को पुनः निर्धारित करने वाले सक्षम अधिकारी के आदेश के परिचालित होने की तारीख से छः माह के भीतर फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन दायर किया जा सकता है।

3.1.6 जहां करदाता द्वारा धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध धारा 107 या धारा 112 के तहत याचिका दायर की गई है, या जहां करदाता द्वारा धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) या (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट नोटिस /कथन/आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर की गई है, वहां करदाता को ब्याज या जुर्माना या दोनों की माफी के लिए आवेदन दायर करने से पहले उसे वापस लेना होगा और ऐसी याचिका /रिट याचिका को वापस लेने के आदेश को फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02, जैसा भी मामला हो, में दायर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। तथापि, ऐसे मामलों में जहां आवेदक ने अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष याचिका या रिट याचिका वापस लेने के लिए आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज दायर किया है, लेकिन फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन दायर करने की तिथि तक संबंधित प्राधिकारी द्वारा रिफंड का आदेश जारी नहीं किया गया है, तो उसे ऐसे आवेदन की प्रति या उक्त याचिका या रिट याचिका वापस लेने के लिए दायर दस्तावेज को फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में उक्त आवेदन के साथ अपलोड करना आवश्यक है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा याचिका या रिट याचिका वापस लेने के लिए जारी किए गए आदेश के एक महीने के भीतर कॉमन पोर्टल पर अंतिम आदेश अपलोड करना आवश्यक है।

3.1.7 यह ध्यान दिया जा सकता है कि, यदि करदाता को जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए धारा 73 के तहत मांगों से संबंधित कई नोटिस / विवरण / आदेश जारी किए गए हैं, तो उसे प्रत्येक संबंधित नोटिस / विवरण / आदेश के संबंध में फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में एक अलग आवेदन दायर करना आवश्यक है।

3.2 कर का भुगतान:

3.2.1 धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट नोटिस या विवरण के संबंध में, अर्थात्, एक नोटिस या विवरण जिस पर अभी निर्णय होना है, उक्त नोटिस में मांगे गए कर का भुगतान करदाता द्वारा फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किया जाएगा।

3.2.2 धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के संबंध में, मांगे गए ऐसे कर के लिए भुगतान करदाता द्वारा केवल मांग आदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर (ईएलआर) के भाग II में बनाई गई डेबिट प्रविष्टि के विरुद्ध भुगतान करके किया जाएगा। इस संबंध में, दिनांक 11 जुलाई 2024 के परिपत्र संख्या 224/18/2024-जीएसटी के पैरा 4 में उल्लिखित प्रक्रिया का संदर्भ लिया जा सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां मांग आदेश में मांगे गए कर का भुगतान पहले ही फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किया जा चुका है, नियम 142(2ख) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, करदाता को फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03क में आवेदन दाखिल करना होगा, जैसा कि उक्त नियम में निर्धारित है, ताकि फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से पहले से भुगतान की गई राशि को फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में धारा 128क के तहत छूट के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले ईएलआर-भाग II में बनाई गई मांग के लिए समायोजित किया जा सके। कर की पूरी राशि के भुगतान की तिथि निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ, वह तिथि मानी जाएगी जिस दिन फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से राशि का भुगतान किया गया है, न कि वह तिथि जिस दिन फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03क का उपयोग करके उक्त राशि समायोजित की गई है।

3.2.3 ऐसा भुगतान धारा 128क (1) के तहत अधिसूचित तिथि को या उससे पहले किया जाएगा, अर्थात् 31.03.2025 को या उससे पहले, जहां धारा 128क की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक (proviso) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में आवेदन दायर किए जाते हैं, वहां आवेदकों को धारा 128क (1) के अंतर्गत विशेष रूप से उन मामलों के लिए अधिसूचित तिथि को या उससे पूर्व भुगतान करना होगा, अर्थात् धारा 73 के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले कर की राशि का पुनर्निर्धारण करने वाले सक्षम अधिकारी के आदेश की नोटिस के छः माह के भीतर।

3.2.4 ऐसे मामलों में जहां नोटिस /विवरण/आदेश के अनुसार देय कर की राशि में धारा 16 की उपधारा (4) के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण मांगी गई राशि शामिल है, जो हालांकि धारा 16 की उपधारा (5) और उपधारा (6) के पूर्वव्यापी सम्मिलन के कारण अब देय नहीं है, ब्याज या जुर्माना या दोनों की माफी की पात्रता के लिए धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित नोटिस /विवरण/आदेश के अनुसार देय कर की पूरी राशि की गणना नियम 164 के उपनियम (5) के अनुसार उस राशि को घटाने के बाद की जाएगी, जो धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार अब देय नहीं है। इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि जहां करदाता इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि काट रहा है, जिसे धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन जो अब उपधारा (5) या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (6) के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी कर कटौती के संबंध में, उसे अधिसूचना संख्या

22/2024- केंद्रीय कर दिनांक 8 अक्टूबर 2024 द्वारा धारा 148 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष प्रक्रिया के अनुसार सुधार हेतु आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

3.2.5 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार देय न होने के कारण कटौती योग्य राशि की गणना धारा 73 के तहत नोटिस या विवरण या आदेश के अनुसार देय राशि से करते समय, जैसा भी मामला हो, करदाता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी राशि केवल तभी काटी जाए जहां आईटीसी को केवल सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया हो, न कि किसी अन्य आधार पर। ऐसे आवेदनों की जांच करने वाले कर अधिकारी को यह भी सत्यापित करना आवश्यक है कि उक्त राशि, जो करदाता द्वारा धारा 16 में उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के पूर्वव्यापी सम्मिलन के कारण अब देय नहीं है, के रूप में काटी गई है, उसे शुरू में केवल धारा 16 की उप-धारा (4) के उल्लंघन के आधार पर कटौती से मना किया गया था, न कि किसी अन्य आधार पर।

3.2.6 यह भी उल्लेख किया जाता है कि नियम 164 के उपनियम (3) और उपनियम (4) में निर्दिष्ट मामलों में, आवेदक धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित नोटिस /विवरण/आदेश के संबंध में धारा 128क के अंतर्गत ब्याज या जुर्माना या दोनों की माफी के लिए आवेदन केवल तभी दायर कर सकता है, जब उसने उक्त नोटिस /विवरण/आदेश में मांगे गए कर की पूरी राशि का भुगतान कर दिया हो, जिसमें त्रुटिपूर्ण रिफंड से संबंधित मांग, यदि कोई हो, और उक्त नोटिस /विवरण/आदेश में धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के अलावा अन्य अवधि से संबंधित मांग, यदि कोई हो, भी शामिल है।

3.3 आवेदन की प्रक्रिया और आदेश जारी करना:

3.3.1 धारा 128क के तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की माफी के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने वाला सक्षम अधिकारी, धारा 73 के तहत आदेश जारी करने वाला सक्षम अधिकारी होगा, यदि आवेदन फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 में दायर किया गया हो, और धारा 79 के तहत वसूली के लिए सक्षम अधिकारी होगा, यदि आवेदन फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में दायर किया गया हो।

3.3.2 फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी उक्त आवेदन की जांच करेगा। यदि, जांच करने पर, वह पाता है कि उक्त आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है, तो वह उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर, कॉमन पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी एसपीएल-03 में आवेदक को नोटिस जारी करेगा। सक्षम अधिकारी आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी देगा।

3.3.3 फॉर्म जीएसटी एसपीएल-03 में नोटिस प्राप्त होने पर, आवेदक नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर, कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी एसपीएल-04 में अपना जवाब दाखिल कर सकता है।

3.3.4 यदि सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक धारा 128क के अंतर्गत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट के लिए पात्र है, तो वह उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 में आदेश जारी करेगा। तथापि, यदि सक्षम अधिकारी, करदाता से प्राप्त आवेदन और फॉर्म जीएसटी एसपीएल-04 में दिए गए उत्तर के आधार पर इस विचार पर पहुंचता है कि आवेदक धारा 128क के अंतर्गत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट के लिए पात्र नहीं है, तो वह फॉर्म जीएसटी एसपीएल-07 में एक आदेश जारी कर उक्त आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

3.3.5 फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-07 में आदेश नियम 164 के उप-नियम (13) में निर्धारित समय अवधि के भीतर जारी किया जाना आवश्यक होगा। नियम 164 के उप-नियम (14) के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां नियम 164 के उप-नियम (13) में निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है, फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में दायर आवेदन, जैसा भी मामला हो, को अनुमोदित माना जाएगा, और फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 में उक्त आवेदन को अनुमोदित करने वाला आदेश कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

3.3.6 ऐसे मामलों में जहां ब्याज या जुर्माना या दोनों की माफी के लिए आवेदन फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 में दायर किया गया था और उक्त आवेदन को मंजूरी देने वाला आदेश फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी

किया गया है, तो फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 में आदेश का सारांश कॉमन पोर्टल पर जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में आदेश जारी किया गया है, जिसमें फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में दायर आवेदन को मंजूरी दी गई है, मांग आदेश या अपीलीय आदेश द्वारा ईएलआर-भाग II में पहले बनाई गई देयता, जैसा भी मामला हो, तदनुसार संशोधित हो जाएगी।

3.3.7 यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि धारा 128क की उपधारा (1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, इस धारा के तहत मांग नोटिस /विवरण/आदेश के खिलाफ कार्यवाही का समापन और फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में इस तरह के निष्कर्ष आदेश को जारी करना, जैसा भी मामला हो, उन मामलों में जहां विभाग ने उक्त मांग नोटिस /विवरण/आदेश के खिलाफ आवेदन दायर किया है/पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू की है, ऐसे आदेश जारी करने के तीन महीने के भीतर अतिरिक्त कर देय, यदि कोई हो, के भुगतान की शर्त पर है, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालत या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, । यदि ऐसे अतिरिक्त कर का भुगतान निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो नियम 164 के उप-नियम (16) के अनुसार, फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में जारी आदेश के अनुसार धारा 128 क के तहत प्रदान की गई ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट, जैसा भी मामला हो, शून्य हो जाएगी।

3.3.8 इसके अलावा, उक्त आवेदन पर कार्रवाई करते समय, सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक ने धारा 128क की उपधारा (1) में संदर्भित नोटिस /विवरण/आदेश में मांगे गए कर की राशि का भुगतान कर दिया है (धारा 16 में उपधारा (5) और उपधारा (6) के पूर्वव्यापी सम्मिलन के कारण अब देय नहीं राशि के अलावा, जैसा कि पैरा 3.2.4 में संदर्भित है), जिसमें गलत रिफण्ड से संबंधित कर मांग की राशि, यदि कोई हो, और उक्त नोटिस /विवरण/आदेश में धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के अलावा अन्य अवधि से संबंधित मांग के कारण भी, यदि कोई हो, शामिल है। इसके अतिरिक्त, सक्षम अधिकारी यह भी ध्यान में रखेगा कि धारा 128क के अंतर्गत ब्याज और जुर्माने की छूट केवल धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि से संबंधित मांग के संबंध में ही उपलब्ध है, तथा गलत रिफण्ड के कारण उत्पन्न मांग को छोड़कर अन्य मुद्दों पर मांग की जा सकती है।

3.3.9 जहां यह पाया जाता है कि धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के अलावा किसी अन्य अवधि से संबंधित किसी मांग के कारण या गलत रिफण्ड की मांग से संबंधित किसी भी राशि का ब्याज और जुर्माना आवेदक द्वारा देय है, उसका विवरण फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 के कॉलम संख्या 19 और कॉलम संख्या 20 में उल्लिखित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में आदेश जारी करने से पहले आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है।

3.3.10 पैरा 3.3.9 में संदर्भित मामलों में, आवेदक को फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 के कॉलम संख्या 19 और कॉलम संख्या 20 में विस्तृत ब्याज या जुर्माना या दोनों की राशि का भुगतान फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में उक्त आदेश जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर करना होगा। ऐसे मामले में जहां उक्त राशि फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में उक्त आदेश जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में जारी आदेश के अनुसार धारा 128क के तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट नियम 164 के उप-नियम (17) के अनुसार शून्य हो जाएगी।

3.4 नियम 164 के अंतर्गत जारी आदेशों के विरुद्ध याचिका :

3.4.1 धारा 128क के तहत कार्यवाही समाप्त करने वाले फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 में जारी आदेश के खिलाफ धारा 107 के तहत कोई याचिका नहीं की जाएगी। तथापि, छूट के लिए आवेदन को अस्वीकृत करने वाले फॉर्म जीएसटी एसपीएल-07 में जारी आदेश के विरुद्ध, फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 में आवेदन दाखिल करके, धारा 107 की उपधारा (1) के अनुसार उसमें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर याचिका की जा सकेगी। ऐसे मामलों में, सामान्यतः, उक्त अपील याचिका करने के लिए करदाता द्वारा कोई पूर्व-जमा राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उक्त राशि फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन दायर करने से पहले मांग नोटिस /विवरण/आदेश में शामिल कर बकाया के भुगतान के एक भाग के रूप में पहले ही भुगतान की जा चुकी होती है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां कर बकाया की कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है अथवा भुगतान की गई कर बकाया राशि धारा 107 की उपधारा

(6) के अनुसार याचिका दायर करने के लिए पूर्व-जमा के लिए अपेक्षित राशि से कम है, तो उक्त याचिका दायर करने के लिए पूर्व-जमा की शेष राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा।

3.4.2 यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि याचिका का विषय केवल धारा 128क के तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट की उपयोगिता के बारे में होगा, न कि मूल नोटिस /कथन/आदेश के गुण-दोष पर।

3.4.3 यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि, ऐसे मामलों में जहां आवेदक द्वारा आदेश के विरुद्ध फॉर्म जीएसटी एसपीएल-07 में याचिका दायर की गई है, और अपीलीय प्राधिकारी का मानना है कि सक्षम अधिकारी ने आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया है, जिससे आवेदक को ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट का लाभ मिल गया है, उक्त अपीलीय प्राधिकारी फॉर्म जीएसटी एसपीएल06 में आदेश पारित करेगा। यह प्रपत्र ई.एल.आर.-भाग II में सृजित दायित्व, यदि कोई हो, को तदनुसार संशोधित करेगा।

3.4.4 जहां धारा 128क के तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की माफी का लाभ उठाने के लिए फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन दाखिल करने से पहले याचिका वापस ले ली गई थी, लेकिन सक्षम अधिकारी द्वारा फॉर्म जीएसटी एसपीएल-07 में आदेश जारी करके माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया है,

(क) ऐसे मामलों में, जहां करदाता उक्त अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध याचिका करता है, और अपीलीय प्राधिकारी यह मानता है कि सक्षम अधिकारी ने फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में किए गए उक्त आवेदन को सही रूप से अस्वीकृत किया है, और फॉर्म जीएसटी एसपीएल-04 में आदेश जारी करता है, तो आवेदक द्वारा दायर मूल याचिका को बहाल कर दिया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि आवेदक फॉर्म जीएसटी एसपीएल-08 में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक वचनबद्धता दाखिल करता है, कि उसने अपीलीय प्राधिकारी के ऐसे आदेश के विरुद्ध न तो कोई याचिका दाखिल की है और न ही वह कोई याचिका दाखिल करने का इरादा रखता है।

(ख) ऐसे मामलों में, जहां करदाता उक्त अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध याचिका करता है, और अपीलीय प्राधिकारी यह मानता है कि समुचित अधिकारी ने फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में किए गए उक्त आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया है, और फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में आदेश जारी करता है, जिसके द्वारा यह माना जाता है कि अपीलकर्ता ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट के लिए पात्र है, फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में जारी किए गए उक्त आदेश के विरुद्ध कोई याचिका नहीं की जाएगी।

(ग) यदि करदाता उक्त अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध धारा 107 की उपधारा (1) में उल्लिखित समयावधि के भीतर याचिका प्रस्तुत नहीं करता है, तो आवेदक द्वारा दायर मूल याचिका बहाल कर दी जाएगी।

4. इसके अलावा, धारा 128क के तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट का लाभ उठाने के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों को भी स्पष्ट किया जाता है:

क्र. सं.	मुद्दा	स्पष्टीकरण
1.	क्या धारा 128क के अंतर्गत प्रदान किया गया लाभ उन करदाताओं पर लागू होगा जिन्होंने उक्त धारा के प्रभावी होने की तिथि से पहले कर का पूरा भुगतान कर दिया है?	इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि धारा 128क की उपधारा (1) के तहत अधिसूचित तारीख तक उक्त मांग के लिए भुगतान की गई ऐसी सभी राशि, भले ही उक्त भुगतान धारा 128क के प्रभावी होने से पहले किया गया हो या उसके बाद, और भले ही ऐसा भुगतान के मांग की नोटिस या मांग के आदेश जारी करने से पहले किया गया हो या उसके बाद, धारा 128क की उपधारा (1) में देय राशि के लिए भुगतान किया गया माना जाएगा, जब तक कि उक्त राशि धारा 128क की उपधारा (1) के तहत अधिसूचित तारीख तक भुगतान की गई है और उक्त मांग के लिए भुगतान किए जाने का इरादा था।

2.	क्या कर अधिकारी द्वारा करदाता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति से किसी विशेष मांग के लिए देय कर के रूप में वसूली गई राशि को धारा 128क के प्रयोजन के लिए उसी के लिए भुगतान किया गया कर माना जा सकता है?	हां। कर अधिकारी द्वारा किसी मांग के विरुद्ध करदाता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति से देय कर के रूप में वसूल की गई उक्त राशि को भी धारा 128क के प्रयोजन के लिए उक्त मांग के प्रति भुगतान किया गया कर माना जाएगा, बशर्ते कि वह राशि धारा 128क की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित तिथि को या उससे पहले वसूल कर ली गई हो।
3.	क्या वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित धारा 73 के तहत मांग से संबंधित कर अधिकारियों द्वारा ब्याज या जुर्माना या दोनों के रूप में वसूल की गई राशि को उक्त वित्तीय वर्षों से संबंधित धारा 73 के तहत की गई मांग के लिए देय कर राशि के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है?	नहीं। यह उल्लेख किया गया है कि धारा 128क की उपधारा (1) के तीसरे प्रावधान के अनुसार, ब्याज या जुर्माना या दोनों की ऐसी राशि की कोई रिफ़न्ड उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, करदाता द्वारा भुगतान की गई या कर अधिकारियों द्वारा ब्याज या जुर्माने के रूप में वसूली गई कोई भी राशि कर के रूप में देय राशि में समायोजित नहीं की जा सकती।
4.	क्या धारा 128क के तहत प्रदान किया गया लाभ उन मामलों में लागू होगा, जहां देय कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और धारा 73 के तहत नोटिस या मांग आदेश केवल ब्याज और/या जुर्माने से संबंधित है?	जहां देय कर का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और धारा 73 के तहत नोटिस या मांग आदेश केवल ब्याज और/या जुर्माने से संबंधित है, वहां धारा 128क का लाभ उठाने के लिए उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि, ब्याज और जुर्माने की छूट का लाभ उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां रिटर्न दाखिल करने में देरी या रिटर्न में किसी आपूर्ति की देरी से रिपोर्टिंग के कारण ब्याज की मांग की गई है, क्योंकि ऐसा ब्याज स्व-मूल्यांकित देयता पर ब्याज की मांग से संबंधित है और कर बकाया की किसी मांग से संबंधित नहीं है और धारा 75 की उप-धारा (12) के तहत सीधे वसूली योग्य है।
5.	क्या धारा 128क के तहत लाभ उपलब्ध है, यदि करदाता नोटिस /विवरण/आदेश में मांगी गई राशि का आंशिक भुगतान करके कुछ मुद्दों पर ब्याज या जुर्माना या दोनों की आंशिक छूट जैसा भी मामला हो, का लाभ उठाने का इरादा रखता है, और शेष मुद्दों के लिए मुकदमा करने का विकल्प चुनता है?	नहीं। धारा 128क (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट केवल तभी लागू होगी जब नोटिस /विवरण/आदेश में मांगे गए कर की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया हो।
6.	जहां नोटिस /आदेश में अनेक अवधियां सम्मिलित हैं, जिनमें वह अवधि भी शामिल है जिसके लिए धारा 128क में प्रदत्त छूट लागू है, तथा कुछ अन्य कर अवधियां भी शामिल हैं जिनके लिए ऐसी छूट लागू नहीं है, तो क्या धारा 128क के अंतर्गत ब्याज या जुर्माने या दोनों की छूट का लाभ धारा 128क के अंतर्गत शामिल की गई अवधि	करदाता ऐसे मामलों में ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, जहां मांग नोटिस /आदेश धारा 128क के तहत शामिल की गई कर अवधि और उक्त धारा के तहत शामिल नहीं की गई अवधि तक फैला हुआ है। हालांकि, नियम 164 के उप-नियम (4) के अनुसार, करदाता को धारा 128 क तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की माफी का लाभ उठाने के लिए नोटिस / विवरण / आदेश में मांगे गए कर की पूरी राशि का

<p>के लिए लिया जा सकता है?</p> <p>यदि हाँ, तो धारा 128क के तहत छूट का दावा करने के लिए देय कर राशि क्या है?</p>	<p>भुगतान करना होगा।</p> <p>इसके अलावा, यद्यपि मांगे गए कर की राशि नोटिस /विवरण/आदेश के अनुसार, जैसा भी मामला हो, उक्त नोटिस /विवरण/आदेश के अंतर्गत आने वाली पूरी अवधि के लिए भुगतान की जानी आवश्यक होगी, लेकिन धारा 128क के अंतर्गत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट केवल धारा 128क में निर्दिष्ट अवधि के लिए लागू होगी, न कि उक्त धारा के अंतर्गत न आने वाली अवधि के लिए।</p> <p>नोटिस /विवरण/आदेश में मांगी गई पूरी राशि का भुगतान करने पर, यदि सक्षम अधिकारी पाता है कि आवेदक धारा 128क के अंतर्गत आने वाली कर अवधि के लिए ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट के लिए पात्र है, तो वह फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 में अपने आदेश में उस सीमा तक देयता को कम कर देगा, और धारा 128क के अंतर्गत न आने वाली कर अवधि के लिए ब्याज या जुर्माना या दोनों की शेष देयता करदाता द्वारा देय रहेगी।</p> <p>उक्त राशि आवेदक द्वारा फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06, जैसा भी मामला हो, में आदेश जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर भुगतान की जानी अपेक्षित होगी। यदि उक्त राशि, ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06, जैसा भी मामला हो, में जारी आदेश, फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में जारी आदेश के अनुसार धारा 128क के अंतर्गत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट, नियम 164 के उप-नियम (17) के अनुसार शून्य हो जाएगी।</p>
<p>7. जहां धारा 73 के तहत जारी नोटिस /कथन/आदेश में कई मुद्दे शामिल हैं और उनमें से एक गलत रिफंड की मांग के बारे में है, क्या धारा 128 क के तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की माफी के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है?</p> <p>यदि हाँ, तो धारा 128क के तहत छूट का दावा करने के लिए देय कर राशि क्या है?</p>	<p>हां।</p> <p>हालांकि, नियम 164 के उप-नियम (3) के अनुसार, करदाता को धारा 128क के तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट का लाभ उठाने के लिए नोटिस /विवरण/आदेश में मांगे गए कर की पूरी राशि का भुगतान करना होगा, जिसमें गलत वपसी की मांग भी शामिल है।</p> <p>इसके अलावा, ऐसे मामलों में, धारा 128क के तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट केवल गलत रिफंड की मांग से संबंधित कर मांग के अलावा अन्य कर मांग के संबंध में उपलब्ध होगी।</p> <p>नोटिस /विवरण/आदेश में मांगी गई पूरी राशि का भुगतान करने पर, यदि सक्षम अधिकारी पाता है कि आवेदक गलत रिफंड की मांग से संबंधित कर मांग के अलावा धारा 128क के अंतर्गत आने वाली कर अवधि के लिए ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट के लिए पात्र है, तो वह फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 में अपने आदेश में उस सीमा तक देयता को कम कर देगा और ब्याज या जुर्माना या दोनों की शेष देयता, जो गलत रिफंड की मांग के अनुरूप है, आवेदक द्वारा देय रहेगी।</p>

		<p>उक्त राशि आवेदक द्वारा फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06, जैसा भी मामला हो, में आदेश जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर भुगतान की जानी अपेक्षित होगी। यदि उक्त राशि, ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06, जैसा भी मामला हो, में जारी आदेश, फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में जारी आदेश के अनुसार धारा 128क के अंतर्गत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट, नियम 164 के उप-नियम (17) के अनुसार शून्य हो जाएगी।</p>
8.	<p>ऐसे मामलों में जहां विभाग ने धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है और अपीलीय प्राधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालत या पुनरीक्षण प्राधिकरण ने कर देयता बढ़ाने वाला आदेश जारी किया है और इस बीच सक्षम अधिकारी ने धारा 128क के तहत फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 में आदेश जारी किया है और करदाता ने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कर देयता की उक्त अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया है, धारा 128क के तहत कार्यवाही के समापन की स्थिति क्या होगी?</p>	<p>हां, धारा 128क के दूसरे प्रावधान के अनुसार, ऐसे मामलों में कार्यवाही का समापन इस शर्त के अधीन है कि उक्त व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार देय कर की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, उक्त आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर चुकाएगा।</p> <p>तदनुसार, यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे मामलों में भी जहां फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-06 में आदेश जारी किया गया है, उक्त कार्यवाही का निष्कर्ष इस शर्त के अधीन होगा कि करदाता अपीलीय प्राधिकारी या अपीलीय न्यायाधिकरण या अदालत या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विभाग द्वारा दायर याचिका के मामले में जारी आदेश द्वारा निर्धारित अतिरिक्त कर राशि का भुगतान कर देयता बढ़ाने वाले ऐसे आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर करेगा।</p> <p>यदि ऐसा अतिरिक्त भुगतान उक्त आदेश की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो नियम 164 के उपनियम (16) के अनुसार फॉर्म जीएसटी एसपीएल-05 में जारी आदेश के अनुसार धारा 128क के तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट शून्य हो जाएगी।</p>
9.	<p>धारा 128क की उपधारा (3) केवल याचिका या रिट याचिका को संदर्भित करती है।</p> <p>इस संबंध में, क्या आवेदक द्वारा दायर एसएलपी के मामले जहाँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, करदाता द्वारा ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए?</p>	<p>हां, ऐसे मामलों में भी आवेदक को उक्त विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) वापस लेने और फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता होगी, जैसा भी मामला हो, एसएलपी वापस लेने के सबूत या आवेदन की प्रति या एसएलपी वापस लेने के लिए दायर किसी अन्य दस्तावेज के साथ, जहां फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन दाखिल करते समय एसएलपी वापस लेने का आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में, पैरा 3.1.6 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।</p>
10.	<p>क्या धारा 128क के तहत प्रदान किया गया लाभ आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर से जुड़े मामलों के लिए उपलब्ध होगा?</p>	<p>हां।</p> <p>एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 और जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 11 तथा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128क को संयुक्त रूप से पढ़ने पर</p>

		<p>यह स्पष्ट हो जाता है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128क के तहत प्रदान किया गया लाभ आईजीएसटी और मुआवजा उपकर से जुड़े मामलों के लिए भी उपलब्ध होगा।</p> <p>इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि ऐसे मामलों में, कर के पूर्ण भुगतान का अर्थ है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और नोटिस / विवरण / आदेश में मांगे गए क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान, जैसा भी मामला हो।</p>
11.	क्या धारा 128क में अनियमित रूप से प्राप्त ट्रांजिसनल क्रेडिट की मांग से जुड़े मामले शामिल हैं?	<p>ट्रांजिसनल क्रेडिट उस तारीख को प्राप्त माना जाता है जिस दिन उक्त क्रेडिट राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाती है।</p> <p>नियम 121 को नियम 117 के उपनियम (3) के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि गलत तरीके से प्राप्त ट्रांजिसनल क्रेडिट के संबंध में कोई भी मांग, चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से, धारा 73 या धारा 74 के अंतर्गत की जा सकती है।</p> <p>इसलिए, यह उल्लेख किया जाता है कि यदि धारा 128क के अंतर्गत कवर की गई अवधि में ट्रांजिसनल क्रेडिट की राशि का लाभ उठाया गया है और धारा 73 के तहत गलत तरीके से प्राप्त क्रेडिट की मांग के लिए नोटिस जारी किया जाता है, तो यह धारा 128क के अंतर्गत आता है।</p>
12.	क्या धारा 128क में अन्य प्रावधानों के तहत जुर्माने की छूट, विलंब शुल्क, मोचन जुर्माना (Redemption Fine) आदि शामिल होंगे?	<p>यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 73, धारा 122, धारा 125 आदि के तहत दंड सहित कोई भी जुर्माना, जो धारा 73 के तहत जारी किए गए मांग की नोटिस / विवरण / आदेश के तहत मांगा गया है, धारा 128 क के तहत प्रदान की गई छूट के अंतर्गत आता है।</p> <p>हालाँकि, विलंब शुल्क, मोचन जुर्माना (Redemption Fine) आदि धारा 128क के तहत दी गई छूट के अंतर्गत नहीं आते हैं।</p>
13.	क्या धारा 128क के तहत छूट पाने के लिए भुगतान आईटीसी का उपयोग करके किया जा सकता है?	<p>हाँ।</p> <p>धारा 128क के तहत छूट की पात्रता के लिए जो कर के भुगतान की आवश्यकता है, वह नोटिस/ विवरण/ आदेश में मांगी गई कर की राशि है। इसलिए, इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का उपयोग करके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करके या आंशिक रूप से दोनों से किया जा सकता है।</p> <p>हालाँकि, जहां मांग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा या धारा 9(5) के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा भुगतान की जाने वाली कर की किसी राशि के संबंध में है, तो उक्त राशि का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके किया जाना आवश्यक होगा, न कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के माध्यम से।</p>

		इसके अलावा, जहां राशि का भुगतान गलत रिफण्ड की मांग के लिए किया जाना है, नकद में भुगतान की गई गलत रिफण्ड के संबंध में मांग का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके किया जाना आवश्यक है, न कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के माध्यम से।
14.	क्या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत देय आयात आईजीएसटी के लिए धारा 128क के तहत छूट का लाभ उठाया जा सकता है?	<p>नहीं।</p> <p>ऐसे मामलों में, मांग सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी नहीं की जाती है, बल्कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जारी की जाती है और इसलिए, ऐसे मामले धारा 128 क के तहत ब्याज या जुर्माना या दोनों की छूट के अंतर्गत नहीं आते हैं।</p>
15.	<p>सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में उप-धारा (5) और (6) को पूर्वव्यापी प्रभाव से शामिल किए जाने से नोटिस /विवरण/आदेश में मांगा गया कर कम हो जाएगा।</p> <p>क्या ऐसे मामलों में धारा 128क के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नोटिस /विवरण/आदेश में मांगी गई पूरी कर राशि का भुगतान करना होगा?</p>	<p>नियम 164 के उपनियम (5) में उल्लेख है कि धारा 128क के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए देय राशि की गणना धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार देय न होने वाली राशि को धारा 73 के तहत नोटिस या विवरण या आदेश के अनुसार देय राशि में से घटाने के बाद की जाएगी।</p> <p>इसलिए, आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने से पहले धारा 73 के तहत नोटिस या कथन या आदेश के अनुसार देय राशि में से धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अनुसार देय न होने वाली राशि को घटाने के बाद गणना की गई केवल देय राशि का भुगतान करना आवश्यक है। धारा 73 के तहत नोटिस या कथन या आदेश के अनुसार देय राशि में से धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अनुसार देय न होने के कारण कटौती योग्य राशि की गणना करते समय, करदाता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी राशि केवल तभी काटी जाए जब आईटीसी को केवल सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया हो, न कि किसी अन्य आधार पर।</p> <p>उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे धारा 16 की उपधारा (5) और (6) के अनुसार फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में, जैसा भी मामला हो, उस राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराएं, जिससे अधिकारी आसानी से भुगतान का सत्यापन कर सकें।</p> <p>यह भी दोहराया जाता है कि जहां करदाता आईटीसी की राशि काट रहा है, जिसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन जो अब सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के पूर्वव्यापी रूप से सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है, तो उसे अधिसूचना संख्या 22/2024 केंद्रीय कर दिनांक 8 अक्टूबर 2024 के तहत धारा 148 के तहत अधिसूचित विशेष प्रक्रिया के अनुसार इसके संबंध में सुधार के लिए आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं है।</p>

16.	<p>फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन के मामले में, जहां आवेदक ने फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से कर की पूरी या आंशिक राशि का भुगतान किया है, क्या उक्त आवेदक को ऐसी कर राशि के लिए फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03क में आवेदन दाखिल करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, जिसे वह फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07/फॉर्म जीएसटी डीआरसी 08/फॉर्म जीएसटी एपीएल-04 के अनुसार कर मांग के विरुद्ध समायोजित करना चाहता है?</p>	<p>हां। ऐसे मामलों में जहां फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07, फॉर्म जीएसटी डीआरसी-08 या फॉर्म जीएसटी एपीएल-04, जैसा भी मामला हो, में आदेश जारी किया गया है और ऐसे करदाता ने फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से अपेक्षित राशि का भुगतान किया है, ऐसे आवेदक को फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन दाखिल करने से पहले नियम 164 के उप-नियम (2) के दूसरे प्रावधान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में बनाई गई मांग के लिए उक्त राशि को समायोजित करना आवश्यक है।</p>
-----	--	--

3. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।
4. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो कृपया बोर्ड के ध्यान में लाएं।
5. अंग्रेजी संस्करण और उसके हिंदी अनुवाद के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति या असंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

(संजय मंगल)
प्रधान आयुक्त (जीएसटी)